

**मांग संख्या 15**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

अनुसूचित जाति की कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित योजना के लिये अनुदान अन्तर्गत राशि रूपये 160.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4515**

**मद क्रमांक 2**

ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के विकास हेतु आस्तियों के निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।